



थाना सुमेरपुर

दिनांक-24.03.2024

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब का निर्माण व बिक्री करने वाला अभियुक्त अवैध कच्ची शराब व शराब निर्माण उपकरण सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा सपाही का डेरा ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर हमीरपुर में छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री करने वाले आरोपी बाबूलाल साहू पुत्र स्व० रामचरण साहू के कब्जे से 03 पिपिया में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब , 03 कुंतल लहन जिसको मौके पर नष्ट किया गया तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना सुमेरपुर पर मु०अ०सं० 115/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बाबूलाल साहू पुत्र स्व० रामचरण साहू नि० ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर उम्र 58 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब व 03 कुंतल लहन (मौके पर नष्ट) मय शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम:-

- 1.उ०नि० श्री वकील अहमद
- 2.उ०नि० श्री हरिश्चन्द्र चौधरी
- 3.का० शैलेश कुमार
- 4.का० अरूण सिंह
- 5.का० राहुल कुमार
- 6.म० आरक्षी पूनम कुमारी
- 7.म० पीआरडी विमला देवी

